

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक—वा०क०अधि०/यु०पी० संशोधन) / —/18, दिनांक : १५ नवम्बर -2018,

—:: आदेश ::—

मुख्यालय के पूर्व निर्गत आदेशांक—2254/18 दिनांक 25.10.2018 द्वारा दिनांक 26.11.18 से 30.11.18 तक के लिए सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम/द्वितीय, नोएडा के दो सदस्यीय वादों के निस्तारण हेतु सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-प्रथम/द्वितीय नोएडा की खंड पीठ गठित की गयी थी।

सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-प्रथम नोएडा द्वारा अपने पत्रांक—548/18 दिनांक 06.11.18 द्वारा, अपने सगे भॉजे के विवाह में सम्मिलित होने के लिए दिनांक 20.11.18, 22.11.18 एवं 26.11.18 के आकस्मिक अवकाश की मांग करते हुए दिनांक 20.11.18 से 27.11.18 की प्रातः तक मुख्यालय छोड़ने की अनुमति चाही गयी है। सदस्य पीठ प्रथम नोएडा द्वारा आवेदित उक्त आकस्मिक अवकाश विचारोपरान्त स्वीकार करते हुए मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की चुकी है। ऐसी स्थिति में नोएडा में गठित उक्त खंड पीठ में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 26.11.18 (एक दिवस) की खंड पीठ निरस्त की जाती है। खंड पीठ की शेष स्थिति यथावत् रहेगी।

दिनांक 26.11.18 को खंड पीठ के समक्ष नियत वादों की सुनवाई/निस्तारण खंड पीठ की शेष अवधि में नियमानुसार किया जाये।

तदनुसार अधिकारियों को तदनुसार सूचित किया जाये।

ह०—15.11.18

(प्रेम कला सिंह)

एच०ज०एस०,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पृष्ठांकन – वा०क०अधि०/यु०पी० संशो०/2359/2018, तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1—सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, नोएडा पीठ-प्रथम/द्वितीय, नोएडा।

2—कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3—मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।

4—सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

माननीय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से,

निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।